राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय ::-

(1) मोहम्मद जफर वगै. बनाम दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं.लि.
एकल पीठ सिविल विविध अपील संख्या: **1672/2007**

एवम्

(2) मोहम्मद जफर वगै. बनाम दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं.लि.
एकल पीठ सिविल विविध अपील संख्या: **1673/2007**

एवम्

(3) मोहम्मद जफर वगै. बनाम दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं.लि.
एकल पीठ सिविल विविध अपील संख्या: **1674/2007**

एवम्

(4) मोहम्मद जफर वगै. बनाम दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं.लि.
एकल पीठ सिविल विविध अपील संख्या: **1675/2007**

एवम्

(5) मोहम्मद जफर वगै. बनाम दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं.लि.
एकल पीठ सिविल विविध अपील संख्या: **1680/2007**

अन्तर्गत धारा **173** मोटर यान अधिनियम, **1988**

* * * * *

निर्णय दिनांक : **26** सितम्बर , **2007**

-: उपस्थित :-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

अपीलाण्टान के अधिवक्ता श्री के.के.शाह,
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता श्री आर.के.मेहता एवं
श्री जगदीश व्यास।

* * * * *

न्यायालय द्वारा :

उक्त अपीलें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 4 (एम.ए.सी.टी.प्रकरण), जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व अवार्ड दिनांक 7.12.05 की नाराजगी में प्रस्तुत की गई है, जिनका निस्तारण एक ही निर्णय से

किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्टान के विरूद्ध अवार्ड पारित किया और बीमा कम्पनी को उनके दायित्व से मुक्त किया, जिसके विरूद्ध उक्त अपीलें हैं।

न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) संख्या 4 (एम.ए.सी.टी.प्रकरण), जोधपुर में क्लेम संख्या 270/05 (पुराने नम्बर 294/04), 299/05 (पुराने नम्बर 401/04), 393/05 (पुराने नम्बर 399/04), 252/05 (पुराने नम्बर 298/04) एवं 262/05 (पुराने नम्बर 400/04) प्रकरण एक ही दुर्घटना, जो दिनांक 23.4.03 को घटित हुई, के सम्बन्ध में विभिन्न क्लेमेंट्स द्वारा विरूद्ध बाबू खां ड्राईवर, मोहम्मद जफर वाहन स्वामी ट्रक संख्या एम पी 09 के बी 5062 व दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि. के विरूद्ध प्रस्तुत किए गए। ये क्लेम्स क्रमश: अली खां वगै., बाबू खां गनी खां, श्रीमती चन्दा व अन्य एवं खमीश खां द्वारा प्रस्तुत किए गए।

तथ्य प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा जो उक्त क्लेम पेश किए गए थे उसके तथ्य इस प्रकार थे कि दिनांक 23.4.03 को प्रार्थीगण एवं मृतकगण, जो कि माल ढ़ोने का कार्य करते थे, दुर्घटना के दिन ट्रक संख्या एम पी 09 के बी 5062 में बैठकर आ रहे थे। उक्त ट्रक में ऊन के बोरे थे। उक्त ट्रक को अप्रार्थी संख्या 1 ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर पेड़ से जोरदार टक्कर मारी जिससे ट्रक पलटी खा गया और ट्रक में सवार व्यक्तियों में से नूर मोहम्मद, रफीक खां व मुरली की ट्रक के नीचे दब जाने से मौके पर ही मृत्यु हो गई और अन्य के चोटें कारित हुई। प्रतिकर याचिका में यह भी जाहिर किया गया कि दुर्घटना में अप्रार्थी संख्या 1 की गलती थी और विभिन्न प्रार्थना-पत्र में विभिन्न क्लेम हेतु याचिका

प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रार्थीगण की प्रतिकर याचिका के खण्डन में जवाब प्रस्तुत किया गया और प्रार्थना-पत्र में अधिकतर पैरा को अस्वीकार किया। पैरा 10 का जवाब भी दिया प्रार्थी माल मालिक की ओर से मजदूर की हैसियत से यात्रा कर रहे थे। इसके अलावा जवाब के पैरा 28 में यह बताया गया कि वाहन चालक की कोई गलती नहीं थी वह वाहन धीमी गति से सावधानी से चला रहा था। प्रार्थीगण किसी प्रकार की राशि पाने के अधिकारी नहीं हैं। जहां तक क्लेम का प्रश्न है, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से भी अलग से जवाब पेश हुआ और अधिकतर पैरा को ज्ञानाभाव व प्रमाणाभाव के अभाव में अस्वीकार किया गया। वाहन संख्या एम पी 09 के बी 5062 दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लि. के पास दिनांक 28.3.03 से 27.3.04 तक के लिए बीमित था, मगर यह भी जाहिर किया कि दुर्घटना स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 की गलती व लापरवाही से हुई है। बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। ड्राईवर के पास वैध व प्रभावी लाइसेंस भी नहीं था। इसके अलावा यह भी जाहिर किया कि मृतकगण व जिनके चोटें आई उनके स्वयं के द्वारा खतरा मोल लिया गया है और वालेन्टाई नान फिट इंन्जूरिया के तहत स्वयं द्वारा उठायी गयी जोखिम के कारण वे कोई भी क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं। पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा अन्य विधिक एतराजात भी लिए गए। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम की गई।

इस प्रकरण में क्लेम पेश होने के बाद अप्रार्थीगण को नोटिस जारी

किए गए। अप्रार्थी संख्या 3 बीमा कम्पनी की ओर से अभिभाषक उपस्थित आए, मगर क्लेम संख्या 270/05 व 252/05 में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 10.1.05 को उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। तत्पश्चात् उक्त दोनों क्लेम में एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने का प्रार्थना-पत्र पेश होने पर दिनांक 10.3.05 को एक तरफा कार्यवाही निरस्त की गई और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब भी रेकर्ड पर लिया गया। सभी प्रकरण एक ही घटना से सम्बन्धित होने से प्रकरण संख्या 252/05, 262/05, 299/05 एवं 393/05 को प्रकरण संख्या 270/05 के साथ समेकित किए गए। तत्पश्चात् प्रकरण में प्रार्थीगण की साक्ष्य कलमबन्द की गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से रमेश चन्द्र शुक्ला के बयान कराए गए और अप्रार्थी संख्या 3 की साक्ष्य बन्द हुई। तत्पश्चात् 5.12.05 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध 10.1.05 को एकतरफा कार्यवाही का आदेश होने से अन्तिम बहस सुनी जाकर निर्णय दिनांक 7.12.05 को सुनाया गया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध अवार्ड व डिक्री पारित की गई, जिसकी नाराजगी में यह अपील ट्रक मालिक व ड्राईवर की ओर से प्रस्तुत की गई है।

अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

इस अपील में योग्य अभिभाषक अपीलाण्टान का मुख्य तर्क यही रहा कि अपीलाण्टान को इस प्रकरण में साक्ष्य का अवसर नहीं मिला। इस सम्बन्ध में उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पारित आदेश दिनांक 10.1.05, 10.3.05 एवं 5.12.05 की ओर ध्यान आकर्षित किया और

तर्क किया कि अपीलाण्टान बाबू खां व मोहम्मद जफर जो अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 थे, उनकी तामील के बाद उनके अनुपस्थित होने पर क्लेम संख्या 270/05 व 252/05 में उनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा की गई थी और पत्रावली 15.1.05 को रखी गई। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उक्त क्लेम में एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने का प्रार्थना-पत्र मय वकालतनामा श्री सी.एस.मंडोरा, अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद उक्त दोनों प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही निरस्त की गई थी। उनका तर्क है कि प्रकरण संख्या 262/05, 299/05 एवं 393/05 में तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खिलाफ कभी एक तरफा कार्यवाही थी ही नहीं और 10.1.05 को श्री सी.एस.मंडोरा, अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर दिया गया और उनका जवाब भी पेश कर दिया गया, जो रेकर्ड पर लिया गया, तत्पश्चात् इन प्रकरणों को दिनांक 8.7.05 के आदेश से प्रकरण संख्या 270/05 के साथ समेकित कर दिया गया। तत्पश्चात् पक्षकार निरन्तर उपस्थित होते रहे और प्रार्थीगण की साक्ष्य दिनांक 30.8.05 को समाप्त हुई और अप्रार्थी की साक्ष्य के लिए पत्रावली रखी गई। 5.12.05 को अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से डी.ड.1 रमेश चन्द्र शुक्ला के बयान लिए और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध चूंकि 10.1.05 को एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश हो चुका था, उन्हें साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया और बहस अन्तिम सुनी जाकर दिनांक 7.12.05 को निर्णय सुना दिया गया। इस प्रकार उनका तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2, जो अपीलाण्ट हैं, उन्हें बिना साक्ष्य का अवसर दिए ही इस प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है। अप्रार्थी सं.1 व 2 को साक्ष्य

का अवसर दिया जाना आवश्यक था, चूंकि यह दुर्घटना वाहन संख्या एम पी 09 के बी 5062 से घटित हुई है और मृतकगण या मजरूबान इसमें वाहन मालिक की ओर से मजदूर की हैसियत से यात्रा कर रहे थे, इस सम्बन्ध में साक्ष्य आनी आवश्यक थी। अप्रार्थी बीमा कम्पनी का यह स्पष्ट रूप से एतराज रहा था कि पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन करके ट्रक में यात्रा की जा रही थी। साक्ष्य के अभाव में अप्रार्थी बीमा कम्पनी को इन क्लेमों से मुक्त किया गया है और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध ही क्लेम पारित किया गया है। इस प्रकार उनका तर्क रहा कि अपीलाण्टान-अप्रार्थीगण का केस प्रीज्यूडिस हुआ और वे कोई भी साक्ष्य पेश नहीं कर सके। अत- अपीलाण्टान को साक्ष्य का अवसर दिया जावे और प्रकरण रिमाण्ड किया जावे। उनका यह भी तर्क रहा कि पच्चीस हजार रूपए की राशि अपील के पूर्व जमा कराई जा चुकी है, उसे लौटाने का भी आदेश दिया जावे या इस सम्बन्ध में उचित आदेश पारित किया जाएं।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट्स की बहस रही कि यह सही है कि उपरोक्त दोनों प्रकरण क्लेम संख्या 270/05 व 252/05 में दिनांक 10.1.05 को एक तरफा कार्यवाही की गई थी और 10.3.05 को एक तरफा कार्यवाही निरस्त भी कर दी गई। 5.12.05 को अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से साक्ष्य पेश की गई थी और डी.ड.1 रमेश चन्द्र शुक्ला के बयान लिए गए और उनकी साक्ष्य समाप्त की। यदि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 चाहते तो 5.12.05 को अपनी साक्ष्य पेश कर सकते थे, परन्तु उनके द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से बहस सुनकर निर्णय किया गया है, इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि 30.8.05 को प्रार्थीगण की साक्ष्य समाप्त की गई और साक्ष्य अप्रार्थी के लिए पत्रावली नियत की गई। इसमें यह स्पष्ट नहीं होता कि किस अप्रार्थी की साक्ष्य अवल्ल में लेनी थी। 5.12.05 को अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से रमेश चन्द्र शुक्ला, सहायक प्रशासनिक अधिकारी दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी के बयान कराए गए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध क्लेम संख्या 270/05 व 252/05 में 10.1.05 को एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित होने से बहस अन्तिम सुनी जाकर प्रकरण निर्णय कर दिया गया। वास्तव में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध क्लेम संख्या 270/05 व 252/05 में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिनांक 10.1.05 को हुए थे, मगर दिनांक 10.3.05 को श्री सी.एस.मंडोरा, अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया और उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही निरस्त कर दी गई थी। इस प्रकार किसी भी प्रकरण में कोई भी एक तरफा कार्यवाही लम्बित नहीं थी। उसके बाद अभिभाषक उपस्थित आ रहे थे और प्रार्थीगण की साक्ष्य में सभी अप्रार्थीगण द्वारा जिरह की जाना पाई जाती है, जिसमें पी.ड.1 सोमू, पी.ड.3 बाबु खां, पी.ड.4 गने खां, पी.ड.5 खमीश से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपीलाण्टान की ओर से जिरह भी की गई है। इस प्रकार उक्त दोनों प्रकरणों में एक तरफा कार्यवाही 10.3.05 को समाप्त हो गई थी और उनका जवाब भी रेकर्ड पर आ चुका था और गवाहों से जिरह भी की गई है। अप्रार्थी बीमा कम्पनी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अवश्य 29.8.05 को पेश हुआ था कि अन्य आधारों पर उन्हें

जिरह की इजाजत दी जावे क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा जिरह नहीं की जा रही है, मगर इस प्रार्थना-पत्र पर भी कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है और गवाहों से जिरह अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भी की है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के विरूद्ध कभी भी एक तरफा कार्यवाही कायम नहीं रही और 5.12.05 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2, जो यहां अपीलाण्टान हैं, उनको कोई भी साक्ष्य का अवसर दिए बिना मात्र यह लिखकर कि उनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा है, साक्ष्य बन्द कर दी जाना और बहस सुनकर प्रकरण निर्णीत कर दिया जाना कतई न्यायोचित नहीं था। उक्त आदेश दिनांक 5.12.05 से अपीलाण्टान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को साक्ष्य का अवसर नहीं मिला और उनका केस पूर्ण रूप से प्रीज्यूडिस हुआ है। ट्रक में यात्रा करने वाले कौन थे और किस हैसियत से यात्रा कर रहे थे, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो साक्ष्य से ही तय किया जा सकता था ताकि अप्रार्थी बीमा कम्पनी की जिम्मेदारी बनती है अथवा नहीं, या अपीलाण्ट की ही जिम्मेदारी बनती है, इन सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में साक्ष्य लेकर ही निर्णय किया जाना आवश्यक था। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा जो अपनी साक्ष्य पेश की गई है जिसमें वाहन के गफलत व लापरवाही से चलाने के सम्बन्ध में जो साक्ष्य दी है और जो साक्ष्य मुआवजा निश्चित करने के सम्बन्ध में पेश की गई थी उसके खण्डन में अप्रार्थी संख्या 1 व 2, जो अधीनस्थ न्यायालय में थे, को साक्ष्य का अवसर दिया जाना आवश्यक था।

इस प्रकार बिना साक्ष्य का अवसर दिए और यह मानते हुए कि उनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा है, बहस सुनकर जो निर्णय पारित किया है वह कतई न्यायोचित नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से

यह स्पष्ट नहीं होता कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अभिभाषक उस रोज उपस्थित थे अथवा नहीं थे। धारा 168 मोटर यान अधिनियम निम्न प्रकार है :

> "Award of the Claims Tribunal :- On receipt of an application for compensation made under Section 166, the Claims Tribunal shall, after giving notice of the application to the insurer and after giving the parties (including the insurer) an opportunity of being heard, hold an inquiry into the claim or, as the case may be, each of the claims and, subject to the provisions of Section 162 may make an award determining the amount of compensation which appears to it to be just and specifying the person or persons to whom compensation shall be paid and in making the award the Claims Tribunal shall specify the amount which shall be paid by the insurer or owner or driver of the vehicle involved in the accident or by all or any of them, as the case may be : ....."

धारा 168 मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों को देखने से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में पक्षकारों द्वारा जवाब पेश कर दिए गए थे, मगर अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकरण में धारा 168 मोटरयान अधिनियम के तहत जो जांच की जानी थी वह न्यायिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए नहीं की गई। इस प्रकरण में मात्र प्रार्थीगण को और बीमा कम्पनी को ही साक्ष्य का अवसर दिया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2, जिनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा नहीं थी, एक तरफा कार्यवाही मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय व अवार्ड पारित किया है वह बिना साक्ष्य का अवसर दिए पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है एवं निरस्त किया जाता है और अपीलाण्टान को साक्ष्य का अवसर देने के बाद इस प्रकरण को पुन: सुनवाई कर पुन: निर्णय करने की हिदायत दी जाती है। उपरोक्त अपीलों के सभी

पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक **26.10.07** को उपस्थित रहेंगे और 26.10.07 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी तमाम साक्ष्य, जो प्रस्तुत करनी हो वह प्रस्तुत करेंगे या तलब कराना चाहें तो अधीनस्थ न्यायालय के माध्यम से तलब कराकर अधीनस्थ न्यायालय जो तारीख नियत करेगा उस रोज उपस्थित कर देंगे। तत्पश्चात् यदि कानून अनुसार कोई खण्डन का अवसर किसी भी पक्षकार को होगा तो अधीनस्थ अधिकरण उस पर सुनवाई कर कानून अनुसार खण्डन का अन्य पक्षों को दिया जाकर एवं बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण को पुन: निस्तारित करेगा।

उपरोक्त विवेचन से उक्त पांचों अपीलें स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एम.ए.सी.टी. प्रकरण संख्या 252/05, 262/05, 299/05, 393/05 एवं 270/05, चूंकि सभी एक ही घटना से सम्बन्धित होने के कारण प्रकरण संख्या 270/05 में समेकित किए गए थे, इन सभी प्रकरणों में पारित निर्णय व अवार्ड दिनांक 7.12.05 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के बयान कलमबन्द करके 6 माह में इस प्रकरण को पुन: निस्तारित करेगा। जहां तक योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के इस तर्क का प्रश्न है कि इस प्रकरण में पच्चीस हजार रूपए की राशि अपीलाण्टान द्वारा जमा करा दी गई थी और जो राशि क्लेमेंट्स में बांट दी गई है, प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए चूंकि अपीलाण्टान द्वारा जमा कराई गई पच्चीस हजार रूपए की राशि क्लेमेंट्स में बांट दी गई है, अत: इस राशि के सम्बन्ध में प्रकरण के अन्तिम निस्तारण के समय अधीनस्थ न्यायालय उचित आदेश पारित कर सकेगा कि इस राशि के सम्बन्ध में कौन पक्ष जिम्मेदार है।

उपरोक्त प्रकार से उक्त पांचों अपीलें स्वीकार की जाती है और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) सं.4 एम.ए.सी.टी. प्रकरण, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व पंचाट अपास्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त हिदायत के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है। प्रकरण निस्तारण के साथ मैं यह भी लिखना आवश्यक समझता हूं कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा इस प्रकरण में, ऐसा प्रतीत होता है बिना सही रूप से पत्रावली का अवलोकन किए दिनांक 5.12.05 को जो आदेश पारित किया है वह कतई उचित नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध सभी प्रकरणों में कोई एक तरफा कार्यवाही नहीं रही थी और दो प्रकरणों में एक तरफा कार्यवाही जो थी वह निरस्त कर दी गई थी और अन्य तीन प्रकरणों में एक तरफा कार्यवाही कभी थी ही नहीं। इस प्रकार बिना पूर्व आदेशिकाओं को देखे जिस प्रकार से अधीनस्थ अधिकरण ने आदेश दिनांक 5.12.05 पारित किया है वह उचित नहीं था और प्रकरण में अनावश्यक देरी हुई है। आशा की जाती है कि अधीनस्थ अधिकरण के अधिकारी भविष्य में सावधानी से कार्य करेंगे, ताकि ऐसी गलती की पुनरावृत्ति नहीं हो। इस निर्णय की फोटो प्रति अपील संख्या 1673/07, 1674/07, 1675/07 एवं 1680/07 में भी लगाई जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तुरन्त लौटाया जावे।

(न यायाधिपति कृष णकुमार आचार्य)

<u>जी.एन.शर्मा</u>